

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 29-09-2026

विषय सूची

खाद्य हानि एवं अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस (IDAFLW)

दुर्लभ-रोगों की दवाओं में भारत का उभरता औषधीय अवसर

भारत में जलाशय भंडारण 70%: 10 वर्षों के निम्नतम स्तर पर

प्रहार: राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति

संक्षिप्त समाचार

दो मौसम प्रणालियों का अंतःक्रिया

शहीद भगत सिंह की जयंती

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

स्वतः होने वाला कोरोनारी धमनी विच्छेदन (SCAD)

सरकार द्वारा 40% प्रीमियम प्रोत्साहन के साथ जलीय कृषि बीमा को बढ़ावा

हरित राजमार्ग

खाद्य हानि एवं अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस (IDAFWL)

सन्दर्भ

- खाद्य हानि एवं अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य खाद्य हानि और अपशिष्ट को कम करने के लिए जागरूकता तथा सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है।

खाद्य हानि और खाद्य अपशिष्ट

- खाद्य हानि** से तात्पर्य उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थों की मात्रा या गुणवत्ता में होने वाली कमी से है, इससे पहले कि वह खुदरा स्तर तक पहुँचे।
- खाद्य अपशिष्ट** से तात्पर्य खुदरा, खाद्य-सेवा और घरेलू स्तर पर फेंके गए खाद्य पदार्थों से है, जिसमें ऐसा भोजन भी शामिल है जो अभी भी उपभोग के लिए उपयुक्त होता है।

भारत में खाद्य अपव्यय की स्थिति

- यूएनईपी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में अनुमानित खाद्य अपव्यय 55 किग्रा/व्यक्ति/वर्ष था, जो 79 किग्रा/व्यक्ति/वर्ष के वैश्विक औसत से कम है।
- चिंता: भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में 123 देशों में 102वें स्थान पर है।
- भारत की लगभग 12% आबादी कुपोषित है, जो लगभग 17-17.5 करोड़ लोगों के बराबर है।
- वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 1.05 अरब टन खाद्य पदार्थ बर्बाद होता है। खाद्य अपशिष्ट का लगभग 60% घरेलू स्तर पर होता है, इसके बाद खाद्य सेवाएँ (28%) और खुदरा क्षेत्र (12%) आते हैं।

खाद्य हानि और अपशिष्ट का प्रभाव

- पोषण सुरक्षा:** खाद्य हानि से उपभोग के लिए उपलब्ध भोजन की मात्रा कम हो जाती है और अनावश्यक अपशिष्ट खाद्य असुरक्षा को बढ़ाता है तथा पोषण को बढ़ावा देने के प्रयासों में बाधा डालता है।
- आर्थिक हानि:** कटाई के बाद होने वाली हानि किसानों की आय को प्रभावित करती है, आपूर्ति श्रृंखला के खर्चों को बढ़ाती है और कृषि उत्पादन में किए गए निवेश पर मिलने वाले प्रतिफल को कम करती है।
- पर्यावरणीय क्षरण:** खाद्य हानि और अपशिष्ट का अर्थ इसके उत्पादन में उपयोग की गई भूमि, जल, ऊर्जा, उर्वरकों और अन्य संसाधनों की भी हानि है।

- जलवायु परिवर्तन:** लैंडफिल में जैविक अपशिष्ट के अपघटन से मीथेन उत्पन्न होती है, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है और वैश्विक तापमान वृद्धि में योगदान करती है।

खाद्य हानि से निपटने में चुनौतियाँ

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** शीत श्रृंखला, भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण में कमियाँ कटाई के बाद होने वाली हानि को बढ़ाती हैं।
- आँकड़ों की कमी:** खुदरा, खाद्य-सेवा और घरेलू स्तर पर होने वाले अपशिष्ट से संबंधित सीमित आँकड़े प्रभावी नीति-निर्माण में बाधा डालते हैं।
- सीमित वित्तपोषण:** उच्च लागत और अपर्याप्त ऋण आधुनिक हानि-न्यूनकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को सीमित करते हैं।
- खंडित दृष्टिकोण:** अनेक क्षेत्रों और संस्थानों की भागीदारी के कारण हस्तक्षेपों में समन्वय का अभाव रहता है।
- खराब अपशिष्ट पृथक्करण:** मिश्रित अपशिष्ट खाद बनाने, बायोगैस उत्पादन और संसाधन पुनर्प्राप्ति की संभावनाओं को कम करता है।

खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए सरकारी पहल

- खाद्य सुरक्षा और वितरण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर वर्गों को रियायती खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करती है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:** इस योजना ने संकट और आर्थिक कठिनाई के समय खाद्य पदार्थों तक पहुँच का विस्तार किया है।
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF):** यह गोदामों, साइलो और शीत भंडारण सहित कटाई के बाद प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना:** इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचा तैयार करना है।
- मेगा फूड पार्क:** ऐसे समूह जो उच्च-प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन को बाजारों से जोड़ते हैं।
- एकीकृत शीत श्रृंखला:** खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की क्षति को कम करने के लिए प्रशीतित परिवहन और शीत भंडारण जैसी संरक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- ऑपरेशन ग्रीन्स:** टमाटर, प्याज और आलू (TOP) जैसी फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और अपशिष्ट को कम करने पर केंद्रित।
- बाजार सुधार:** ई-नाम कृषि बाजारों में बेहतर मूल्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है और अक्षमताओं को कम करता है।

- **खाद्य हानि का मापन:** भारत ने कटाई के बाद होने वाली हानि का आकलन करने के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि अध्ययन किए हैं, जिनमें क्रमशः 2005-07, 2012-14 और 2020-22 के दौरान 45, 45 और 54 वस्तुओं को शामिल किया गया।
- ये आकलन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा किए गए हैं और खेतों से लेकर खुदरा स्तर तक पूरी कृषि आपूर्ति श्रृंखला में होने वाली हानियों के प्रमाण उपलब्ध कराते हैं।
- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) खाद्य-हानि वाले प्रमुख क्षेत्रों को जलवायु-लचीली प्रौद्योगिकियों से जोड़ने तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

Action at scale is possible!

Japan: 31% reduction

- Mandatory reporting of food waste from large businesses
- Industry reduction targets
- Effective animal feed diversion
- Public awareness ('No-foodloss')



Per capita, 2008-2020, household, food service and retail.

Netherlands:

Reductions of 23% at consumer & 17% retail level!

- A national consumer activation campaign with 150 partners (public and private). "Food waste free week" organized annually.
- Food Waste Free United Foundation - voluntary agreement initiated by the Dutch government, Wageningen University & Research (WUR), the Dutch Nutrition Centre and 25 private sector organisations in 2017.

United Kingdom: 18% reduction

- Voluntary reporting and engagement through Courtauld Commitment Public-Private Partnership - retail 26% reduction
- Manufacturers 34%
- Product- and sector-specific best practice guidance
- Redistribution working group
- Public awareness ('Love Food, Hate Waste')



Per capita, 2007-2021, household, food service, retail, manufacturer

आगे की राह

- भारत में खाद्य अपव्यय खाद्य के उत्पादन, वितरण और उपयोग में मौजूद प्रणालीगत अक्षमताओं का संकेत है, जबकि भूख की समस्या अभी भी बनी हुई है।
- इस समस्या का समाधान खाद्य सुरक्षा, संसाधन दक्षता और सततता में सुधार के लिए आवश्यक है।
- यह सतत विकास लक्ष्य 2 (शून्य भूख) और सतत विकास लक्ष्य 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे खाद्य अपव्यय में कमी एक प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकता बन जाती है।

स्रोत: TH

दुर्लभ-रोगों की दवाओं में भारत का उभरता औषधीय अवसर

सन्दर्भ

- दुर्लभ रोगों के बढ़ते बोझ ने भारत के दुर्लभ-रोग औषधीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और किफायती दवा निर्माण में अपनी क्षमताओं का लाभ उठाने की आवश्यकता को उजागर किया है।

दुर्लभ रोग क्या हैं?

- दुर्लभ रोग ऐसी स्थितियाँ हैं जो किसी आबादी में बहुत कम बार होती हैं।
- इनकी पहचान तीन प्रमुख संकेतकों से होती है: रोग से प्रभावित लोगों की कुल संख्या, प्रसार तथा उपचार विकल्पों की उपलब्धता/अनुपलब्धता।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुर्लभ रोग ऐसी स्थिति है जो आबादी के एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करती है, सामान्यतः 1,000 से 2,000 लोगों में 1 से कम।
- विश्व स्तर पर लगभग 8,000 दुर्लभ रोग हैं, जबकि भारत में 1,004 दुर्लभ आनुवंशिक विकारों की सूचना दी गई है।
- दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए विकसित दवाओं को अनाथ दवाएँ कहा जाता है।

वैश्विक अनाथ दवा बाजार

- अमेरिकी अनाथ दवा अधिनियम, 1983 ने दुर्लभ रोगों के लिए दवाओं के विकास हेतु वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन की शुरुआत की।
- इस अधिनियम से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने केवल 38 अनाथ दवाओं को मंजूरी दी थी, जबकि 2022 तक 1,122 दवाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी।
- इन प्रोत्साहनों के बावजूद, अनुसंधान, विकास और उपचार की उच्च लागत रोगियों की उपचार तक पहुँच को सीमित करती रहती है।

दुर्लभ-रोगों की दवाओं के विकास में चुनौतियाँ

- **वाणिज्यिक प्रोत्साहन:** व्यक्तिगत दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों की कम संख्या इन दवाओं के संभावित बाजार को सीमित करती है, जिससे दवा कंपनियों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करने के वाणिज्यिक प्रोत्साहन कम हो जाते हैं।
- **नैदानिक परीक्षण:** पर्याप्त रूप से बड़े रोगी समूहों की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि व्यक्तिगत दुर्लभ रोग अपेक्षाकृत कम लोगों को प्रभावित करते हैं।
- **नियामक बाधाएँ:** जटिल नियामक प्रक्रियाएँ और अतिरिक्त नैदानिक अध्ययनों की आवश्यकता भारत में अनाथ दवाओं को बाजार में लाने में लगने वाले समय और लागत को बढ़ाती है।

भारत के दुर्लभ-रोग औषधीय क्षेत्र की संभावनाएँ

- **विविध रोगी आबादी:** भारत की बड़ी आबादी और अंतर्विवाह के कारण कुछ आनुवंशिक विकारों की अधिक व्यापकता रोगियों की पहचान और नैदानिक परीक्षणों के लिए अवसर प्रदान करती है।

- **विनिर्माण क्षमताएँ:** जेनेरिक दवाओं, जैव-समान दवाओं और सीएआर-टी कोशिका चिकित्सा सहित उन्नत उपचारों में भारत की विशेषज्ञता अनाथ दवाओं के विनिर्माण के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है।
- कुशल पेशेवर, स्थापित बुनियादी ढाँचा और अपेक्षाकृत कम उत्पादन लागत किफायती, छोटे पैमाने के उत्पादन को समर्थन दे सकते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** विदेशी दवा कंपनियों, भारतीय अनुसंधान संस्थानों और रोगी संगठनों के बीच साझेदारी दवा विकास और नैदानिक परीक्षणों को तेज कर सकती है।

भारत में दुर्लभ-रोगों की दवा के विकास को बढ़ावा देने के उपाय

- **नई दवाएँ और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के नियम 101** के तहत, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने छह देशों को निर्दिष्ट किया है—जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं। यदि इन देशों में से किसी एक देश द्वारा किसी दवा को मंजूरी दी जाती है, तो भारतीय नियामक से मंजूरी माँगने से पहले उस दवा के निर्माता के लिए भारत में नया नैदानिक परीक्षण कराना आवश्यक नहीं होता।
- औषध विभाग ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की है, जिसके तहत अनाथ दवाओं के घरेलू उत्पादन के लिए चयनित निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPRD), 2021

- इसे 2021 में शुरू किया गया था, जिसके तहत किसी चिन्हित उत्कृष्टता केंद्र (CoE) में उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों को 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- भारत में दुर्लभ रोगों को उपलब्ध उपचार विकल्पों की प्रकृति और जटिलता के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
- समूह 1 में वे रोग शामिल हैं जिनका उपचार एक बार की उपचारात्मक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है।
- समूह 2 के रोगों में दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है, जो अपेक्षाकृत कम महंगे हैं और जिनके लाभ प्रमाणित हैं, लेकिन रोगियों को नियमित जाँच की आवश्यकता होती है।
- समूह 3 में वे रोग शामिल हैं जिनके लिए प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन वे महंगे हैं और अक्सर आजीवन जारी रखने पड़ते हैं।

दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए की गई पहल

- वंशानुगत विकारों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट विधियाँ (UMMID) पहल का उद्देश्य प्रारंभिक जाँच, किफायती आणविक निदान और चिकित्सकीय परामर्श के माध्यम से नवजात शिशुओं तथा दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से निपटना है।
- इसके तहत सरकारी अस्पतालों में निदान केंद्र (NIDAN Kendras) स्थापित किए जाते हैं, जो प्रसवपूर्व परीक्षण, आनुवंशिक परामर्श और बहुविषयक देखभाल प्रदान करते हैं।

आगे की राह

- भारत की स्थापित औषधि विनिर्माण क्षमताएँ, विविध रोगी आबादी और बढ़ता जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र दुर्लभ-रोगों की दवाओं के विकास के क्षेत्र में विस्तार के अवसर प्रदान करते हैं।
- अनुसंधान सहायता, सरल नियामक व्यवस्था, सतत वित्तपोषण और रोगियों के लिए सुनिश्चित उपचार उपलब्धता को एकीकृत करने वाला समन्वित दृष्टिकोण भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनाथ दवा उद्योग विकसित करने में सहायता कर सकता है, साथ ही अपनी आबादी की अपूर्ण स्वास्थ्य आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है।

स्रोत: TH

भारत में जलाशय भंडारण 70%: 10 वर्षों के निम्नतम स्तर पर

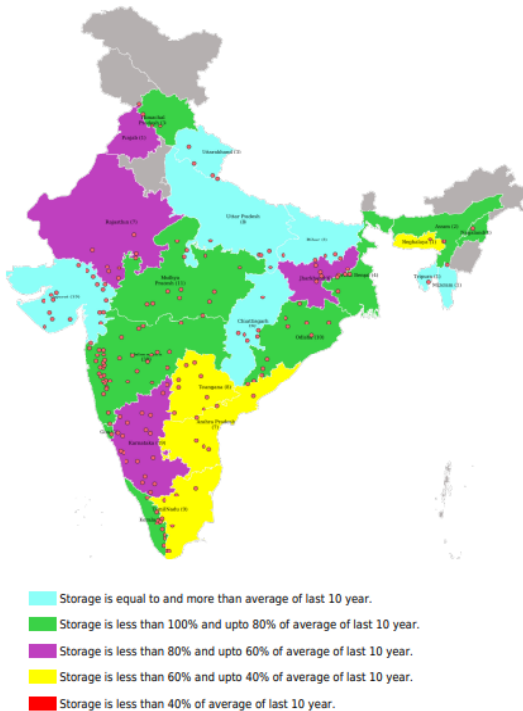
सन्दर्भ

- हाल ही में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के साथ भारत में जलाशयों में जल भंडारण दशकीय औसत से नीचे बना हुआ है, जिससे सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

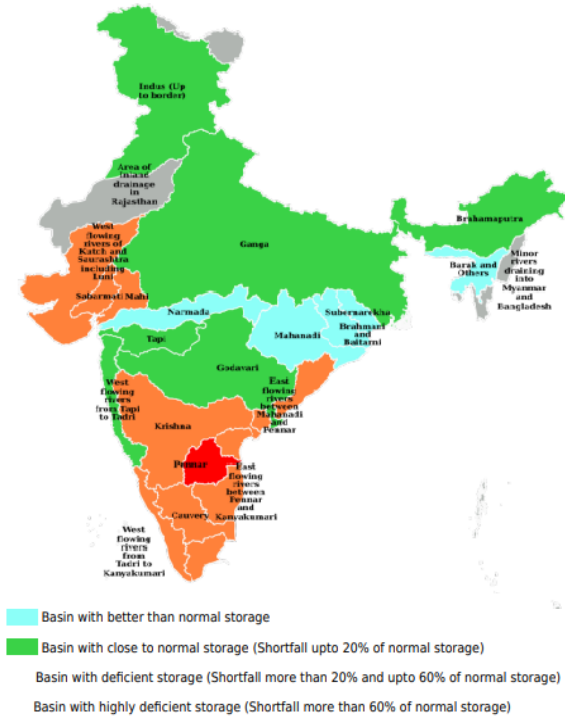
प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय जल आयोग (CWC) की 24 सितंबर 2026 की वास्तविक समय जलाशय भंडारण रिपोर्ट के अनुसार, 178 प्रमुख जलाशयों में कुल क्षमता का लगभग 70% जल संग्रहित है।
- यह 10-वर्षीय औसत 76.62% से कम है और 2025 की इसी अवधि में दर्ज 79% भंडारण से भी कम है।
- भारत में संचयी वर्षा सामान्य से 12% कम रही।
- मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का 70% से अधिक हिस्सा प्रदान करता है, जिससे जलाशयों, भूजल और सतही जल प्रणालियों के पुनर्भरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- यह स्थिति महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सूखा घोषित किए जाने के साथ सामने आई है।

Map Indicating State-wise Storage Position



Map Indicating Basin-wise Storage Position



क्षेत्रीय जलाशय स्थिति

- दक्षिण भारत (सबसे अधिक चिंताजनक): आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले दक्षिणी क्षेत्र में जलाशयों में सबसे कम भंडारण दर्ज किया गया है।
- वर्तमान भंडारण: 27.926 अरब घन मीटर (क्षमता का 50%)
- पिछला वर्ष: 87.25%
- वर्षा: 28 सितंबर तक सामान्य से 23% कम
- इस तेज गिरावट का सिंचाई, पेयजल उपलब्धता और जलविद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है।
- पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत: असम, बिहार, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के 31 जलाशयों में:
- भंडारण: 16.157 अरब घन मीटर (क्षमता का 73%)
- मौसमी वर्षा की कमी: ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र में लगभग 25%।
- उत्तरी भारत: हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के 11 जलाशयों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है:
- 2026: 62% (12.431 अरब घन मीटर)
- 2025: 92.3%
- पश्चिमी और मध्य भारत: गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा: 32.664 अरब घन मीटर या 84.61%, जबकि 2025 में यह 95.79% था।

- छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड: 41.568 अरब घन मीटर या 85.55%, जबकि 2025 में यह 91.89% था।

मानसून की कमी और अल नीनो

- दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा में 70% से अधिक का योगदान देता है और जलाशयों, भूजल तथा अन्य सतही जल निकायों का पुनर्भरण करता है।
- हालांकि, संचयी वर्षा सामान्य से 12% कम रही।
- जून में 35.4% की कमी दर्ज की गई, अगस्त में 16.3% की कमी रही, जबकि जुलाई में वर्षा सामान्य से लगभग 1% अधिक रही और 1-28 सितंबर के दौरान 5% की कमी दर्ज की गई।
- अल नीनो, जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के समय-समय पर होने वाले गर्म होने की घटना है, वर्षा की बढ़ी हुई अनिश्चितता और लंबे शुष्क दौर से जुड़ा रहा है।
- हालांकि, ENSO भारतीय मानसून के प्रदर्शन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं है; क्षेत्रीय वायुमंडलीय और समुद्री कारक भी वर्षा को प्रभावित करते हैं।

भारत के लिए प्रभाव

- कृषि:** सिंचाई की उपलब्धता में कमी और भूजल पर अधिक निर्भरता।
- पेयजल:** शुष्क मौसम के दौरान शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति पर दबाव।

- **जलविद्युत:** जलाशयों का निम्न जल स्तर बिजली उत्पादन को सीमित कर सकता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** जल की कमी फसल उत्पादन और कृषि आय को प्रभावित कर सकती है।
- **अंतर-राज्यीय जल संबंध:** जल की कमी साझा नदियों के जल को लेकर विवादों को बढ़ा सकती है।
- **सूखे की संवेदनशीलता:** मानसून का खराब प्रदर्शन वार्षिक वर्षा की कमी मध्यम होने पर भी जलवैज्ञानिक और कृषि सूखे की स्थिति में बदल सकता है।

आगे की राह

- भारत को वर्षा पर निर्भर संकट प्रबंधन से आगे बढ़कर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए:
- नदी बेसिन स्तर पर जल बजट और जलाशयों के बीच समन्वय।
- वर्षा जल संचयन और जलभृत पुनर्भरण का विस्तार।
- सूक्ष्म सिंचाई और जल-कुशल फसल प्रतिरूपों को बढ़ावा देना।
- वास्तविक समय के जलाशय और भूजल आँकड़ों का अधिक उपयोग।
- सूखा-प्रतिरोधी कृषि और जलवायु आधारित फसल नियोजन।
- पारंपरिक जल निकायों और आर्द्रभूमियों का पुनर्जीवन।
- प्रारंभिक चेतावनी और अग्रिम सूखा-प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना।

केंद्रीय जल आयोग (CWC)

- यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रमुख तकनीकी संगठन है।

प्रमुख तथ्य

- **स्थापना:** 1945 में प्रारंभ में केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग के रूप में स्थापित किया गया; 1951 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय जल आयोग कर दिया गया।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **अध्यक्ष:** इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार में पदेन सचिव स्तर के अधिकारी भी होते हैं।
- **मुख्य दायित्व:** यह जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के संबंध में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और परामर्श प्रदान करता है।
- **कार्य के प्रमुख क्षेत्र:**
 - सतही जल संसाधनों का आकलन।
 - नदी बेसिनों का नियोजन और विकास।

- बाँधों और जलाशयों का डिजाइन एवं सुरक्षा।
- बाढ़ पूर्वानुमान और जलवैज्ञानिक निगरानी।
- जलाशयों में जल भंडारण की निगरानी।
- सिंचाई और जलविद्युत से संबंधित जल संसाधन परियोजनाएँ।
- अंतर-राज्यीय नदी और जल संसाधन संबंधी मुद्दों से जुड़े अध्ययन।
- जलवैज्ञानिक आँकड़ों का संग्रह और प्रसार।

स्रोत: IE

प्रहार: राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में 'प्रहार – CT नीति और रणनीति' पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया।

प्रहार

- गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी, 2026 को 'प्रहार' को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति एवं रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया।
- यह भारत के आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण को एक व्यापक खतरे के परिदृश्य के अंतर्गत रखती है, जिसमें सीमा-पार आतंकवाद, वैश्विक उग्रवादी नेटवर्क जैसे अल-कायदा और आईएसआईएस, तथा ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार, साइबर हमले, क्रिप्टो-माध्यम से वित्तपोषण और सीबीआरएनईडी खतरों जैसी आधुनिक तकनीकी जोखिम शामिल हैं।
- इसमें सात स्तंभों वाली रणनीति प्रस्तावित की गई है, जिसमें खुफिया-आधारित रोकथाम, तीव्र समन्वित प्रतिक्रिया, क्षमता निर्माण, मानवाधिकारों का अनुपालन, कट्टरपंथ से मुक्ति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा सामाजिक पुनर्प्राप्ति एवं लचीलापन शामिल हैं।
- **यह मुख्यतः:** राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) जैसी मौजूदा संस्थाओं और कानूनों को एकल राष्ट्रीय ढाँचे में समेकित करती है, न कि नई संरचनाओं का निर्माण करती है।

• SEVEN PILLARS OF PRAHAAR

PREVENTION of terror attacks	rule-of-law-based processes
SWIFT , coordinated responses to extremist violence	COUNTERING radicalisation
ENHANCING internal capacities	ALIGNING and shaping global counter-terrorism efforts
UPHOLDING human rights and	RECOVERY and resilience through a whole-society approach

महत्व

- **पहली व्यापक राष्ट्रीय नीति:** विभिन्न एजेंसियों के बीच आतंकवाद-रोधी कार्रवाई के लिए एक एकीकृत ढाँचा स्थापित करती है।
- **बहु-क्षेत्रीय सुरक्षा:** भूमि, वायु, जल और साइबर क्षेत्र के माध्यम से उत्पन्न खतरों को शामिल करती है तथा बिजली, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा करती है।
- **शून्य-सहिष्णुता का सिद्धांत:** भारत के इस रुख को मजबूत करती है कि आतंकवाद को किसी धर्म, जातीयता या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जा सकता।
- **क्षमता निर्माण:** खुफिया एजेंसियों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय को बेहतर बनाती है।
- **वैश्विक समन्वय:** अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सहयोग को आकार देने में भारत की भूमिका को मजबूत करती है।

भारत के आतंकवाद-रोधी ढाँचे की उभरती चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **सीमा-पार आतंकवाद:** पड़ोसी क्षेत्रों में राज्य-समर्थित समूहों द्वारा लगातार घुसपैठ और समर्थन।
- **साइबर-सक्षम खतरे:** राष्ट्र-राज्य और आपराधिक हैकर भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे को निशाना बना रहे हैं।
- **डार्क वेब मंच:** हथियारों, विस्फोटकों और चोरी किए गए आँकड़ों की गुमनाम खरीद की अनुमति देते हैं, जिससे खुफिया निगरानी और अधिक जटिल हो जाती है।
- **ड्रोन युद्ध:** हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के लिए ड्रोन का बढ़ता उपयोग, विशेष रूप से पंजाब और जम्मू-कश्मीर में।
- **संगठित अपराध-आतंकवाद गठजोड़:** आतंकवादी संगठन रसद और भर्ती के लिए आपराधिक नेटवर्क के साथ सहयोग कर रहे हैं।
- **कट्टरपंथ:** अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे समूहों का ऑनलाइन प्रचार और उनके स्लीपर सेल हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।
- **सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार,** कट्टरपंथ फैलाने वाले अभियानों में चरमपंथी समूहों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार प्रचार सामग्री और स्वचालित बॉट नेटवर्क का बढ़ता उपयोग किया जा रहा है।
- **विशेषीकृत आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण क्षमता की कमी:** अनेक पुलिस बलों के पास अभी भी साइबर खुफिया, ड्रोन का पता लगाने और डिजिटल निगरानी प्रौद्योगिकियों में उन्नत प्रशिक्षण का अभाव है।

आगे की राह

- **खुफिया तंत्र का एकीकरण मजबूत करना:** केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में आँकड़ों के आदान-प्रदान का विस्तार करना।
- **साइबर सुरक्षा में उन्नयन:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियों और स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधानों में निवेश करना।
- **ड्रोन-रोधी उपाय:** ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकियों की तैनाती और अधिक कठोर सीमा निगरानी करना।
- **सामुदायिक लचीलापन:** नागरिक समाज और स्थानीय शासन को शामिल करते हुए कट्टरपंथ के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाना।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** आतंकवाद के वित्तपोषण, हथियारों की तस्करी और उग्रवादी प्रचार का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तथा वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग को गहरा करना।
- **कानूनी सुधार:** न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित खतरों से निपटने के लिए आतंकवाद-रोधी कानूनों को अद्यतन करना।
- **पीड़ित सहायता प्रणाली:** आतंकवाद से प्रभावित पीड़ितों के लिए पुनर्वास और मुआवजा संबंधी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप देना।

निष्कर्ष

- प्रहार भारत का पहला संस्थागत आतंकवाद-रोधी सिद्धांत है, जो रोकथाम, आनुपातिक प्रतिक्रिया और लचीलेपन को एक साथ जोड़ता है।
- प्रहार की प्रभावशीलता स्पष्ट राज्य-वार दिशा-निर्देशों, पुलिस और आतंकवाद-रोधी दस्तों की क्षमता निर्माण तथा खुफिया जानकारी साझा करने, कानून-व्यवस्था और सामुदायिक सहभागिता के लिए एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय के माध्यम से जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।
- इसके लिए निगरानी तंत्र की भी आवश्यकता है, ताकि सुरक्षा नियोजन में सामाजिक-आर्थिक और "सम्पूर्ण समाज" आधारित उपायों के एकीकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

स्रोत:IE

संक्षिप्त समाचार

दो मौसम प्रणालियों का अंतःक्रिया

सन्दर्भ

- उत्तर प्रदेश में हुई अत्यधिक भारी वर्षा का कारण बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए गहरे अवदाब और उत्तर-पश्चिमी भारत के ऊपर स्थित पश्चिमी विक्षोभ के बीच संभावित अंतःक्रिया को माना गया है।

मध्य भारत के ऊपर गहरा अवदाब

- बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न एक गहरा अवदाब उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट को पार करने के बाद अंतर्देशीय क्षेत्र में आगे बढ़ा और धीरे-धीरे कमजोर हो गया।
- अवदाब एक संगठित निम्न-दाब प्रणाली है, जिसमें वायुमंडलीय दाब आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम होता है।
- गर्म, नम वायु निम्न-दाब केंद्र की ओर अभिसरित होकर ऊपर उठती है। जैसे-जैसे वायु ऊपर उठती है, वह फैलती और ठंडी होती है, जिससे जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है और वर्षा होती है।
- वर्षा की तीव्रता नमी की उपलब्धता, वायुमंडलीय अस्थिरता, पवन अभिसरण और मौसम प्रणाली की गति जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ जेट स्ट्रीम

- पश्चिमी विक्षोभ उन मौसम प्रणालियों को कहा जाता है जो सामान्यतः पश्चिम से होकर उत्तरी भारत की ओर बढ़ती हैं।
- ये पूर्व की ओर बढ़ने वाली वर्षा-वाहक पवन प्रणालियाँ हैं, जो अफगानिस्तान और ईरान से आगे के क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं तथा भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से नमी ग्रहण करती हैं।
- ये सामान्यतः उष्णकटिबंधीय-बाह्य चक्रवात होते हैं, जो निम्न-दाब क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं और ध्रुवीय तथा उष्णकटिबंधीय पवनों के बीच अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप बनते हैं।
- उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली ऊँचाई पर स्थित तेज गति की वायु धारा है, इन मौसम प्रणालियों को हिमालय और तिब्बती उच्चभूमि तक ले जाती है।
- जब नमी से भरे पश्चिमी विक्षोभ हिमालय से टकराते हैं, तो वे ऊपर उठते और ठंडे होते हैं, जिससे विशेष रूप से उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बादल, वर्षा और गरज के साथ तूफान आते हैं।

तराई क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील क्यों है?

- तराई हिमालय की तलहटी के दक्षिण में स्थित एक निचला, दलदली क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमालय की तलहटी वाले अन्य क्षेत्रों के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है।
- इसका अपेक्षाकृत समतल भू-भाग, उच्च भूजल स्तर और हिमालयी नदियों से निकटता क्षेत्र के कई हिस्सों को जलभराव और बाढ़ के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- अत्यधिक वर्षा स्थानीय जल निकासी प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है, जबकि नदियों का ऊँचा जलस्तर आसपास के क्षेत्रों से वर्षाजल की निकासी में बाधा डालता है।

स्रोत: IE

शहीद भगत सिंह की जयंती

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गाँव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
- उन्होंने दयानंद एंग्लो-वैदिक उच्च विद्यालय और बाद में नेशनल कॉलेज, लाहौर में शिक्षा प्राप्त की।
- वे समाजवाद के प्रबल समर्थक थे और ऐसे समाज में विश्वास करते थे जहाँ धन और संसाधनों का समान रूप से वितरण हो। वे अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं से भी प्रभावित थे।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हुए, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- 1926 में उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध युवाओं को संगठित करने के लिए लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की।
- साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने उनकी मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया। उनका निशाना जेम्स ए. स्कॉट था, लेकिन गलती से उन्होंने 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी. सॉण्डर्स की हत्या कर दी।
- 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने औपनिवेशिक नीतियों, जिनमें पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल शामिल थे, के विरोध में दिल्ली स्थित केंद्रीय विधान सभा के अंदर बम फेंके। उनका उद्देश्य लोगों की हत्या करना नहीं था, बल्कि “बहरे कानों को सुनाना” था।
- भगत सिंह और दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में विधानसभा में बम विस्फोट के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
- बाद में भगत सिंह को सॉण्डर्स की हत्या से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ा, जो लाहौर षड्यंत्र मामले का आधार बना और अंततः उन्हें मृत्युदंड दिया गया।
- उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की आयु में फाँसी दे दी गई।

साहित्यिक योगदान

- उनका प्रसिद्ध निबंध 'मैं नास्तिक क्यों हूँ' 1930 में लाहौर की जेल में रहते हुए लिखा गया था।
- उन्होंने पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भी योगदान दिया और 1926 में इसके संपादकीय मंडल में शामिल हुए।

विरासत

- 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

स्रोत: AIR

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने पीएम-एजेवाई योजना के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए 'पीएम-एजेवाई मोबाइल ऐप और 'पीएम-एजेवाई (PM-AJAY)' पोर्टल शुरू किया है।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

- यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई 100% केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण करना है।
- यह तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विलय से बनी योजना है, अर्थात्:
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)
- अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP)
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)
- इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है।



स्रोत: PIB

स्वतः होने वाला कोरोनरी धमनी विच्छेदन (SCAD)

चर्चा में क्यों?

- स्वतः होने वाला कोरोनरी धमनी विच्छेदन (SCAD) 30 और 40 वर्ष की उम्र की ऐसी महिलाओं में भी हृदयाघात का कारण बन सकता है, जो देखने में पूरी तरह स्वस्थ होती हैं और जिनमें सामान्य जोखिम कारक नहीं होते।

स्वतः होने वाला कोरोनरी धमनी विच्छेदन (SCAD)

- यह अचानक होने वाला और अक्सर पहचान में न आने वाला हृदयाघात है, जो तब होता है जब कोरोनरी धमनी की दीवार में दरार या रिसाव हो जाता है। इससे रक्त वाहिका दब जाती है और रक्त प्रवाह सीमित हो जाता है।
- इसकी प्रक्रिया पारंपरिक हृदयाघात से अलग होती है, जो सामान्यतः कोलेस्ट्रॉल की परत के फटने और रक्त का थक्का बनने के कारण होता है।
- यह मुख्य रूप से 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को प्रभावित करता है।
- युवा महिलाएँ इसके लगभग 80-90% मामलों में होती हैं और हृदयाघात से पीड़ित सभी महिलाओं में से एक-तिहाई तक मामलों का हिस्सा हो सकती हैं।
- SCAD के कुछ कारणों में अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, भारी वजन उठाना, भावनात्मक तनाव, गर्भावस्था और हार्मोनल परिवर्तन, या अंतर्निहित रक्तवाहिका संबंधी समस्याएँ शामिल हैं।
- इसका फाइब्रोमस्क्युलर डिस्प्लेसिया (FMD) के साथ मजबूत संबंध है। FMD मध्यम आकार की धमनियों का एक गैर-एथेरोस्क्लेरोटिक विकार है। अन्य रक्तवाहिका संबंधी असामान्यताएँ, जैसे धमनीविस्फार और धमनी में दरार, भी SCAD से पीड़ित लोगों में अधिक पाई जाती हैं।
- SCAD में यदि पूर्ण अवरोध हो, तो उपचार में एंजियोप्लास्टी शामिल हो सकती है। लेकिन यदि कोई अवरोध नहीं है, तो धमनी सामान्यतः बिना उपचार के स्वयं ठीक हो जाती है और सामान्य हृदयाघात के विपरीत इसका उपचार रूढ़िवादी तरीके से किया जाता है।
- बीटा-ब्लॉकर दोबारा होने की संभावना को कम कर सकते हैं। स्टैटिन और एंटीप्लेटलेट दवाओं का उपयोग चुनिंदा मामलों में किया जाता है।

स्रोत : IE

सरकार द्वारा 40% प्रीमियम प्रोत्साहन के साथ जलीय कृषि बीमा को बढ़ावा

सन्दर्भ

- केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के तहत जलीय कृषि बीमा को बढ़ावा दे रही है। इसके अंतर्गत एक फसल चक्र के लिए बीमा प्रीमियम का 40% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)

- केंद्र सरकार ने 2024 में PM-MKSSY को मंजूरी दी थी, जिसमें घटक 1-B के तहत जलीय कृषि बीमा को शामिल किया गया है।
- योजना की प्रमुख विशेषताएं:**
 - पात्र किसानों को बीमा प्रीमियम का 40% तक प्रोत्साहन मिल सकता है।
 - तालाब-आधारित जलीय कृषि के लिए प्रोत्साहन जल-फैलाव क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर अधिकतम ₹25,000 तक सीमित है, जिसकी अधिकतम सीमा चार हेक्टेयर तक ₹1 लाख है। एक हेक्टेयर से कम आकार वाले खेतों को आनुपातिक आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।
 - पिंजरा पालन, पुनर्चक्रणीय जलीय कृषि प्रणालियाँ, बायोफ्लॉक और रेसवे जैसी उन्नत प्रणालियों के लिए प्रोत्साहन प्रीमियम का 40% है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1 लाख और पात्र इकाई का आकार 1,800 घन मीटर तक है।
 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थी सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को देय प्रोत्साहन पर अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।
 - इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मंच (NFDP) के माध्यम से किया जा रहा है तथा लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं।

भारत में जलीय कृषि का विकास

- भारत के कुल मत्स्य उत्पादन में जलीय कृषि की हिस्सेदारी लगभग 74% है।
- भारत ने 2024-25 में 19.8 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन दर्ज किया, जिससे वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बन गया।
- साथ ही, 2024-25 में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन बढ़कर 14.74 मिलियन टन हो गया, जो अंतर्देशीय जलीय कृषि के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

- भारत में लगभग 1.95 लाख किमी नदियों और नहरों, 31.5 लाख हेक्टेयर जलाशयों, 22.1 लाख हेक्टेयर तालाबों और टैंकों तथा 14.1 लाख हेक्टेयर खारे पानी वाले क्षेत्रों के रूप में पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है।
- उपलब्ध खारे पानी वाले क्षेत्र का केवल लगभग 17% ही जलीय कृषि के लिए विकसित किया गया है, जो इसके विस्तार की पर्याप्त संभावनाओं को दर्शाता है।

स्रोत: DD News

हरित राजमार्ग

सन्दर्भ

- भारत का हरित राजमार्ग दृष्टिकोण वृक्षारोपण, जलवायु-सक्षम डिजाइन और संसाधन-कुशल निर्माण के माध्यम से सड़क अवसंरचना में परिवर्तन ला रहा है।

हरित राजमार्ग क्या हैं?

- हरित राजमार्ग राजमार्गों की योजना, डिजाइन और निर्माण के लिए अपनाया गया ऐसा दृष्टिकोण है, जो परिवहन आवश्यकताओं को पारिस्थितिकीय स्थिरता के साथ एकीकृत करता है तथा पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आसपास के समुदायों को ध्यान में रखता है।
- स्वीकृत कार्यों के दायरे के अनुसार वृक्षारोपण गतिविधियाँ स्वयं सहायता समूहों, निजी एजेंसियों, राज्य वन विभागों, वन निगमों और ठेकेदारों द्वारा की जाती हैं।
- जुलाई 2026 तक, पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगभग 1.32 लाख किमी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3.61 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।

हरित राजमार्ग नीति, 2015

भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को हरित बनाने का मार्गदर्शन हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति, 2015 द्वारा किया जाता है। इस नीति को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया था:

- राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए एक नीतिगत ढाँचा विकसित करना।
- वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करना, क्योंकि पेड़ और झाड़ियाँ वायु प्रदूषकों के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य करती हैं।
- तटबंधों की ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकना।
- हवा और आने वाले विकिरण के प्रभाव को नियंत्रित करना।
- स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।

क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक (NH-GCI) 2025-26 रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार (RoW) के भीतर हरित आवरण का देश का पहला वैज्ञानिक और मात्रात्मक आकलन प्रस्तुत करती है।

- इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) के सहयोग से तैयार किए गए इस आकलन में 24 राज्यों में परिचालन और रखरखाव (O&M) चरण के अंतर्गत लगभग 30,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल किया गया है।

स्रोत: PIB

